माननीय न्यायालय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश ग्वालियर

प्रकरण क्रमांक /2018 निगरानी

निगरानी = 5186/2018/आगर मालवा/भू.रा.

कालुसिंह मृत बजाय वारिस
उम्मेदसिंह पिता स्व. कालुसिंह आयु 33 वर्ष जाति राजपुत व्यवसाय कृषि निवासी ग्राम मलवासा तेहसील व जिला आगर मालवा (म.प्र) ....आवेदक

प्राप्त ... श्री जितेन्द्र जैन
द्वारा ...
दिनांक 10/7/18
अधीक्षक 10.7.18
आयुक्त कार्यालय
उज्जैन

विरूद्ध

1. सुमेरसिंह पिता बनेसिंह राजपुत
2. भैरूसिंह पिता सरदारसिंह राजपुत
3. राधुलाल पिता भैरूलाल दर्जी
4. सजनसिंह पिता बहादुरसिंह राजपुत
5. रमेश पिता भैरूलाल दर्जी
6. दिलीपसिंह पिता लक्ष्मणसिंह राजपुत
7. कैलाश पिता भैरूलाल दर्जी
8. नारायण पिता सरदारसिंह राजपुत

समस्त निवासीगण ग्राम मलवासा तेहसील व जिला आगर मालवा (म.प्र)

538
10/7/18

कालुसिंह मृत बजाय वारिस

9. चेनकुंवरबाई विधवा कालुसिंह
निवासी ग्राम मलवासा तेहसील व जिला आगर मालवा (म.प्र)
10. हाकमबाई पिता कालुसिंह पति कमलसिंह राजपुत
निवासी ग्राम तिलावद तेहसील तराना जिला उज्जैन
11. गेंदकुंवरबाई पिता कालुसिंह पति बनेसिंह राजपुत
निवासी ग्राम सुमराखेडी तेहसील तराना जिला उज्जैन
12. रामकुंवरबाई पिता कालुसिंह पति हरिसिंह राजपुत
निवासी ग्राम भुण्डखेडी तेहसील तराना जिला उज्जैन
13. पवनबाई पिता कालुसिंह पति भगवानसिंह राजपुत
निवासी ग्राम भुण्डखेडी तेहसील तराना जिला उज्जैन
14. प्रेमसिंह पिता कालुसिंह राजपुत
निवासी ग्राम मलवासा तेहसील व जिला आगर मालवा

..................अनावेदकगण

निगरानी आवेदन पत्र अन्तर्गत धारा 50 मध्य प्रदेश भु–राजस्व संहिता 1959 अधिनस्थ न्यायालय अपर आयुक्त महोदय,उज्जैन संभाग उज्जैन के प्रकरण क्रंमाक 13/ विविध/2017-2018 आदेश दिनांक 27-06-2018 से असन्तुष्ट होकर।

माननीय महोदय्

आवेदक की और से निम्नानुसार निगरानी आवेदन पत्र प्रस्तुत है ::–

प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य

1. यह कि, मुल आवेदक कालुसिंह ने एक आवेदन पत्र अर्न्तगत धारा 250 मध्य प्रदेश भु–राजस्व संहिता के अन्तर्गत अपने स्वामित्व की कृषि भुमि सर्वे नम्बर 452 रकबा 0.05 हे0 सर्वे क्रंमाक 455 रकबा 0.39 हे0 सर्वे क्रंमाक 459 रकबा 0.06 हे. कुल किता 03 कुल रकबा 0.50 हे0 स्थित ग्राम मलवासा तेहसील आगर जिला आगर मालवा का कब्जा विधिवत सीमाकंन करवाने के पश्चात् अतिक्रमको से कब्जा दिलवाये जाने हेतु श्रीमान तेहसीलदार महोदय तेहसील आगर जिला आगर मालवा के समक्ष प्रस्तुत किया था जो प्रकरण क्रंमाक 17/अ-70/2015-2016 पर कायम होकर अभी विचाराधीन है। जिसमे की आवेदन निगरानीकर्ता तथा अनावेदक क्रंमाक 9 लगायत 14 मृत स्वर्गीय कालुसिंह के वैध वारिसान होकर उनके नाम रिकार्ड पर लाये जा चुके है। तथा अनावेदक क्रंमाक 1 लगायत 8 अतिक्रमणकर्ता होकर उन्होने आवेदक के स्वामित्व की भुमि पर अवैध अतिक्रमण कर रखा है। जिनके की विरूद्व मुल रूप से स्वर्गीय कालुसिंह ने कब्जा दिलाये जाने हेतु धारा 250 मध्य प्रदेश भु–राजस्व संहिता के अन्तर्गत प्रकरण प्रस्तुत किया तथा प्रकरण के साथ विधिवत रूप से सीमाकंन दस्तावेज भी प्रस्तुत किये। अनावेदक क्रंमाक 9 लगायत 14 को प्रोफार्मा अनावेदक के रूप मे प्रकरण मे सम्मिलित किया गया है।

2. यह कि, उक्त तेहसीलदार महोदय आगर के समक्ष विचाराधीन प्रकरण मे आवेदक के पिता स्व.कालुसिंह द्वारा प्रस्तुत उक्त प्रकरण विचाराधीन रहने के दौरान आवेदक को अधिनस्थ न्यायालय तेहसीलदार महोदय आगर द्वारा प्रकरण मे की जा रही कार्यवाही एंव आवेदकगण को दिये गये निर्देशो से ऐसा स्पष्ट प्रतित होने पर की तेहसीलदार महोदय पर अतिक्रमणकारीगण जिन्होने की आवेदक की वादग्रस्त भुमि पर अवैध रूप से गुमटिया लगाकर दुकाने लगा रखी है उन्हे नही हटाया जा सके। इसलिये स्थानीय राजनैतिक नेताओ से दबाव डलवाया गया है। तथा इसलिये तेहसीलदार महोदय प्रकरण मे उचित आदेश पारित न कर लगातार आवेदकगणो से यह कह कर डराधमकाकर आवेदकगणो पर दबाव बना रहे है कि आवेदकगण प्रकरण वापस ले लेवे। तथा अतिक्रमणकारियो की दुकान अवैध अतिक्रमण की भुमि पर बनी हुई नही है। आवेदकगणो को यह तथ्य ज्ञात होने पर आवेदक ने धारा 29 (2) मध्य प्रदेश भु–राजस्व संहिता सन् 1959 के अन्तर्गत एक आवेदन पत्र कमिश्नर महोदय उज्जैन के समक्ष न्यायालय तेहसीलदार महोदय तेहसील आगर जिला आगर मालवा के यहां विचाराधीन प्रकरण क्रंमाक 17/अ-70/2015-2016 कालुसिंह विरूद्व सुमेरसिंह अन्य न्यायालय मे विचारार्थ अन्तरित किये जाने हेतु प्रस्तुत किया गया था। ताकि प्रकरण का निष्पक्ष रूप से सम्पुर्ण न्यायिक निराकरण होकर

XXXIX(a)-BR(H)-11

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश-ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक R 5186/18/ अपील

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
28-2-19	आवेदक अभि. श्री जितेन्द्र जैन उपस्थित अभिभाषक द्वारा निवेदन किया गया है कि उक्त प्रकरण आ. चलाना नहीं चाहते। तर्क सुने गए। निवेदन स्वीकार किया गया। अतः प्रकरण इसी स्तर पर समाप्त किया जाता है। रिकॉर्ड दाखिल हो [signature]	इस निगरानी को चलाना नहीं चाहते। [signature] 28/02/19

[कृ. प. उ.